रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 465] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 25, 1972/कार्तिक 3, 1894

No. 465] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 25, 1972/KARTIKA 3, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October 1972

S.O. 680(E)/IDRA/29B/72/3.—Whereas having regard to the stage of development of the scheduled industries specified in the Schedule to this notification (hereafter in this notification referred to as the said schedule industries), the Central Government is of the opinion that it would not be in the public interest to apply the provisions of clause (d) of sub-section (1) of section 13 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) to the said schedule industries;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby exempts all industrial undertakings, registered under the said Act or in respect of which any licence or permission

has been issued under that Act and pertaining to the said scheduled industries, from the operation of clause (d) of sub-section (1) of section 13 of the said Act, subject to the condition that the substantial expansion does not exceed the limits specified below:—

(a) in respect of industrial undertakings which have been licensed or registered under the Act specifically on the basis of single or double shift working, to the extent of production obtainable by the maximum utilisation of their licensed or registered capacity;

(b) in respect of other industrial undertakings which had commenced production on or before the first day of October, 1972, to the extent of an additional one hundred per cent of the existing licensed or registered capacity, as the case may be:

Provided that no such industrial undertaking shall be eligible for exemption,—

(i) if it belongs to or is controlled by any of the Larger Industrial Houses as specified in the list at Appendix II-A (1) of the report of the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee, as amended by the Central Government from time to time; or

(ii) if it is a foreign company or a branch or subsidiary of a foreign company; or

(iii) if the industrial undertaking is a engaged in industries reserved for the small scale sector as listed in Schedule II to the notificatic of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Department of Industrial Development), No. S.O. 713/IDRA/29B/70/1, dated the 19th February, 1970, as amended from time to time; or

(iv) if it requires additional machinery (except minor balancing equipment procured indigenously) whether indigenous or imported; or

(v) if the industrial undertaking is engaged in an industry other than one of the industries listed in the Schedule to this Notification.

2. This notification is in addition to, and not in derogation of anything contained in the following notifications of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development, Internal trade and Company Affairs (Department of Industrial Development), namely:—

(i) No. S.O. 713/IDRA/29B/70/1 dated the 19th February, 1970, as amended from time to time, in so far as the said notification relates to substantial expansion of industrial undertakings, and

(ii) No. S.O. 912/IDRA/29B/70/3 dated the 28th February, 1970, as amended from time to time.

SCHEDULE

1. Hosiery needles.
2. Road rollers.
3. Polystyrene.
4. Steel wires.
5. Wheel Discs, Bogie Wheels and crawler traction tracks.
6. Industrial Chains.
7. Polyethylene (low density and high density).
8. PVC Resins.
9. Diesel Locomotives (different gauges).
10. Industrial Alcohol.
11. Synthetic Detergents

[No. 10(38)/Lic.Pol./68]

S. K. SEHGAL, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 1972

का० आ० 680(अ)/आई० डी० आर० ए/29बी/72/3.—यतः इस अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसूचित उद्योगों जिन्हें इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिसूचित उद्योग कहा गया है के विकास के प्रक्रम को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार की राय है कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के उपबन्धों को उक्त अधिसूचित उद्योगों, पर लागू करना लोक हित में नहीं होगा;

अतः, अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29 ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के आधीन रजिस्ट्रीकृत या सभी औद्योगिक उपक्रमों को या उन उपक्रमों को जिनकी बाबत उस अधिनियम के आधीन कोई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा जारी की गई हो, और जो उक्त अधिसूचित उद्योगों से सम्बन्धित है, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के प्रवर्तन से, इस शर्त के आधीन रहते हुए कि सारतः विस्तार नीचे विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक नहीं होगा, एतद्द्वारा छूट देती है :—

(क) उन औद्योगिक उपक्रमों की बाबत जिन्हें विनिर्दिष्टता एकल या दोहरी पारी कार्यकरण के आधार पर अधिनियम के आधीन अनुज्ञप्त या रजिस्ट्रीकृत किया गया है, उसकी अनुज्ञप्त या रजिस्ट्रीकृत क्षमता के अधिकतम उपयोग से अभिप्राय उत्पादन की सीमा तक ;

(ख) अन्य औद्योगिक उपक्रमों की बाबत जिन्होंने अक्तूबर, 1972 के प्रथम दिन को या उसके पूर्व उत्पादन प्रारम्भ किया हो, यथास्थिति, विद्यमान अनुज्ञप्त या रजिस्ट्रीकृत क्षमता के अतिरिक्त एक सौ प्रतिशत तक की सीमा तक ;

परन्तु कोई ऐसा औद्योगिक उपक्रम छूट के लिए पात्र नहीं होगा –

(i) यदि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित औद्योगिक अनुज्ञप्ति नीति जांच समिति की रिपोर्ट के परिशिष्ट II क (1) की सूची में विनिर्दिष्ट किए गए किसी बड़े औद्योगिक गृह की है या उसके द्वारा नियंत्रित है, या

(ii) यदि वह विदेशी कम्पनी है या विदेशी कम्पनी की शाखा या सहायकी है ; या

(iii) यदि औद्योगिक उपक्रम उन उद्योगों में लगा हुआ है जो भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और कम्पनी कार्य मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की समय समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं० का० आ० 713/आई० डी० आर० ए०/29ख/70/1, तारीख 19 फरवरी 1970 की अनुसूची 2 में सूची बद्ध रूप में लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं, या

(iv) यदि इसके लिए अतिरिक्त मशीनरी अपेक्षित है (देश में ही अभिप्राप्त लघुसंतुलन उपस्कर के सिवाय) ; देशी हों या आयतित, या

(v) यदि औद्योगिक उपक्रम इस अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध उद्योगों से भिन्न किसी उद्योग में लगा है ।

2.—यह अधिसूचना भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार कम्पनी कार्य मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के अतिरिक्त है, और उनका अल्पीकरण नहीं करती, अर्थात् :—

(i) समय-समय पर यथासंशोधित सं० का० आ० 713/आई०डी० आर० ए०/29ख 70/1, तारीख 19 फरवरी, 1970, जहां तक उक्त अधिसूचना का सम्बन्ध औद्योगिक उपक्रमों के सारभूत विस्तार से है, और

(ii) समय-समय पर यथासंशोधित से का० आ० 912/आई०डी० आर०ए०/29ख 70/3, तारीख 28 फरवरी, 1970.

अनुसूची

1. होजरी सूईयां।
2. सड़क रोलर्ज।
3. पोलस्टीन।
4. इस्पात तारें।
5. पहिया डिस्क, बोगी पहिए और रिंगणट्रेक्शन पट्टियां।
6. औद्योगिक जंजीरें।
7. पोलिएथोन (निम्न घनत्व और उच्च घनत्व)।
8. पी वी सी रेसिन।
9. डीजल रेल इंजन (विभिन्न लाइनें)।
10. औद्योगिक अल्कोहल।
11. संश्लिष्ट अपमार्जन।

[सं० 10(38) लिक० पोल/68]

एस० के० सहगल, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972